(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/3331 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 93/अपील/2015-16.

रामलाल आत्मज छोटेलाल
निवासी-ग्राम कोटवार, अनकाबाड़ी
तहसील व जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1. गोकुल आत्मज छोटेलाल
   निवासी-ग्राम कोटवार, अनकाबाड़ी
   तहसील व जिला बैतूल
2. म.प्र. राज्य द्वारा नायब तहसीलदार, बैतूल .....अनावेदकगण

श्री आर.पी. चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 24.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर बैतूल के समक्ष जनसुनवाई में दिनांक 17.11.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अपने पिता के स्थान पर कोटवारी प्राप्त करना चाहता है। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्र कलेक्टर द्वारा तहसीलदार, बैतूल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 04/अ-56/2015-16 दर्ज कर दिनांक 11.04.2016 को आदेश पारित कर आवेदक को

ग्राम अनकाबाड़ी का कोटवार नियुक्ति किये जाने के आदेश दिये । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 व उसके पिता छोटेलाल द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2016 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अनावेदक क्रमांक 1 को कोटवार नियुक्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 24.08.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 30-10-2015 केवल तत्कालीन कोटवार छोटेलाल द्वारा कोटवारी पद से त्याग पत्र देने के सम्बन्ध में होकर, कोटवारी नियुक्ति की कार्यवाही के पूर्व का प्रस्ताव है । अत: उक्त प्रस्ताव को केवल कोटवार द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ही स्वीकार किया जा सकता है, कोटवार नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं, क्योंकि जब तक कोटवार का पद रिक्त न हो जावे तब तक नवीन नियुथ्कत की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती है ।

(2) तत्कालीन कोटवार छोटेलाल द्वारा दिनांक 3-10-2015 को त्याग पत्र दिये जाने के पश्चात आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष कोटवार पद पर नियुकित् हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा कोटवारी नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इस्तहार जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये । ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 12-2-2016 को केवल आवेदक द्वारा ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को ग्राम कोटवार नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव पारित कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा तत्कालीन पटवारी से प्रतिवेदन चाहे जाने पर, पटवारी द्वारा आवेदक की नियुक्ति किये जाने बावत् अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं पुलिस थाना से आचरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया ।

(4) आवेदक पूर्व कोटवारा का बड़ा पुत्र है एवं पूर्ण स्वस्थ होकर कोटवार नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं रखता है । अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा इस्तहार जारी होने के पूर्व अथवा बाद में कभी भी ग्राम पंचायत के समक्ष या तहसील न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं

किया है, इसिलए कोटवार नियुक्ति की कार्यवाही में अनावेदक क्रमांक 1 के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा सकता है ।

(5) आवेदक अपने पिता को समय-समय पर कोटवारी कार्य में सहयोग करता रहा है तथा बढ़ा पुत्र होने के कारण पिता व मॉ की सेवा सुश्रुवा भी करता रहा है और पिता की मृत्यु पश्चात उसकी अंत्येटि में भी अपना योगदान देकर अंतिम संस्कार किया है ।

तर्कों के समर्थन में 1971 आर.एन. 399, 1964 आर.एन. 491 एवं 1987 आर.एन. 123 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किये गये है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 दोनों पूर्व कोटवार के पुत्र हैं । ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 30-10-2015 अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में था और आवेदक के पक्ष में बाद की तिथि में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह प्रथम दृष्टया संदेहास्पद है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि कोटवारी की नियुक्ति के लिए बनाये गये नियम 4(2) में उल्लेख है कि कोटवार की नियुक्ति के लिए निवृत्त कोटवार के समीपस्थ रिश्तेदारों को अन्य बातें समान होते हुए अग्रमान्यता दी जा सकती है । इस प्रावधान का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि निवृत्त होने के उपरांत भी पूर्व कोटवार को जीवन यापन में कोई व्यवधान न हो । वर्तमान प्रकरण में पूर्व कोटवार अपने दूसरे पुत्र अनावेदक क्रमांक 1 को कोटवार बनाना चाहता है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के स्थान पर अनावेदक क्रमांक 1 पूर्व कोटवार का सहयोगी रहेगा । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत हैं और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि आयुक्त द्वारा भी की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं । दर्शित परिस्थित में आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर